

विषय सूची

- 1. संस्था का नाम :: हरियाणा स्नातक महाविद्यालय समिति ।
- 2. संस्था का पुराना पता :: ग्राम सिद्धीदास मसखडा, प.पो. बटार तहसील जिला - जलंधी ।
- 3. संस्था का कार्यालय :: सम्पूर्ण भारतवर्षी ।
- 4. संस्था के उद्देश्यदा तथा सदस्यों के वर्ग :

ताराचन्द्र सिन्हा

1. संस्थागत सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को एक बार 100000/- रु. का दान देकर इससे अधिक की धरादारि या पत्र, उक्त सम्पत्ति से या से निःस्वार्थ दान देवे तो संस्था के सदस्य होने का अधिकार उसे प्राप्त होगा जो कि संस्था के उद्देश्य से व्यक्ति आजीवन सदस्य होगा तथा उसे भी आजीवन समझे जाने स्थान पर अपनी कंपनी का सदस्य नियुक्त कर सकेंगे ।

मोती प्रसाद

2. आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति एक बार 51,000/- रु. (इक्यावन हजार) या इससे अधिक की धरादारि सबूत या पत्र - उक्त सम्पत्ति संस्था को निःस्वार्थ दान देवे तो आजीवन सदस्य होगा ।

माल-चन्द्र

3. साधारण सदस्य - जो व्यक्ति एक बार संस्था को 25,000/- रु. (बचोम हजार) या इससे अधिक की धरादारि संस्था को निःस्वार्थ दान देवे तो साधारण सदस्य होगा ।

रामनेला



4. बंदी सदस्य - विद्यालय के प्रधानाचार्य और ही गरीब उद्योग विज्ञान विभाग के शिक्षक बंदी सदस्य होंगे ।

- 1. मृत्यु होने पर
- 2. पान्थन अथवा डिमिशन होने पर ।
- 3. संस्था की वृत्ति हानिकारक कार्य करने पर ।
- 4. अपना पत्र या अधिपत्र पुस्तक रखने पर ।
- 5. कानून के विरुद्ध में अशुभ स्थिति होने पर ।
- 6. किसी गैरकानूनी कार्य करने पर ।
- 7. साधारण सदस्य से सम्बन्धित एक सदस्यता नष्ट न कराने पर ।

5. संस्था के अंग -

अ. साधारण तथा ब. मुख्यकारिणी समिति
उद्देश्य - सभी सदस्य मिलकर साधारण तथा का काम करेंगे ।

कर्म - साधारण तथा की सामान्य काम को से का सभी में एक बार उद्योग, विरोध के काम के लिए भी तथा आवश्यकता पड़ने पर सुझाव का स्वामी है ।

समाप्त अर्थ - साधारण तथा की सामान्य काम की सुझाव सभी सदस्यों को निविष्ट सुझाव के आधार पर 24 घंटे पूर्व दे ही जायेगी ।

(Handwritten signatures and dates)

क्यापूरि - साधारण तथा की क्यापूरि हुन सदस्यों का 2/3 होगा। जो काय स्थिति हो जाने पर ऊपरी धैर्य के लिए नीरम की आवश्यकता नहीं होगी।

8- वार्षिक अधिवेशन की तिथि-

साधारण तथा का वार्षिक अधिवेशन छठी में एक बार अवसर होगी जो नवंबर मूल में होगी।

साधारण तथा के कर्तव्य -

- 1। प्रकल्पकारिणी समिति का चुनाव करना।
- 2। संस्था का वार्षिक बजट पत्रा करना।
- 3। संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पत्रा करना।
- 4। संस्था की पत्रा पत्रा अवलोकन समिति की स्थापना करना।
- 5। संस्था 2/3 बहुमत के पत्रा करना।

9- प्रकल्पकारिणी समिति -

कल्प - प्रकल्पकारिणी समिति का एक साधारण तथा - पत्रा रिपोर्ट सदस्यों के आधार पर होगा जिसे 5 पदाधिकारी पत्रा 4 सदस्य होंगे जोर मूल की संस्था होगी।

प्रकल्पकारिणी समिति के सामान्य बैठक साल में कम से कम तीन बार अवसर होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

अधि - प्रकल्पकारिणी समिति की सामान्य बैठक की बुलावा सभी पदाधिकारियों को कम से कम 7 दिन पूर्व देनी होगी, विशेष बैठक की बुलावा दो दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

क्यापूरि - प्रकल्पकारिणी समिति की क्यापूरि मूल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।



माली-मनदीप 64

उत्सव नैवाश
पाठक

रिक्त स्थानों की पूर्ति -

प्रकल्पकारिणी समिति के उत्तम रिक्त स्थान या अतिरिक्त रिक्त होने पर उत्तम पूर्ति साधारण तथा के बहुमत के आधार पर बोधवत्त के लिए की जायेगी।

प्रकल्पकारिणी समिति के कर्तव्य -

- 1। संस्था के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
- 2। संस्था का वार्षिक बजट पत्रा करना।
- 3। संस्था के लिए आवश्यकता बुलाना।

कार्यकाल - प्रकल्पकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 साल तक होगी।

सहायक सचिव
मौलिक शिक्षा एवं विज्ञान
संस्था, दिल्ली

उपसचिव
संस्था, दिल्ली

10. पुस्तकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार एवं शक्ति -

अपक्ष -

- 1) साधारण तथा और पुस्तकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता होगा और कार्यवाही का संभाल देना।
- 2) साधारण तथा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों में स्वाम का दर्जा की दशा में निर्धारण का उसे का अधिकार प्राप्त होगा।
- 3) पुस्तक/की की साधारण तथा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक में आह्वान कले के सम्बन्ध में तद्व्यति प्रदान करेगा।
- 4) विद्यालय के लिए धन एकत्रित करना।

उपाध्यक्ष -

अपक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना।

पुस्तक/की -

- 1) संस्था की साधारण तथा और कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्था द्वारा स्थापित विद्यालय पुस्तकारिणी समिति के समस्त अधिकारों, कार्यवाही परिकारों आदि का रख-रखाव करना।
- 2) संस्था की दोनों समितियों एवं संस्था द्वारा स्थापित विद्यालय की पुस्तकारिणी समिति की बैठक में आवश्यक व सामान्य आह्वान करना।
- 3) प्रत्येक बैठक पर स्वीकृति प्रदान करना।
- 4) संस्था द्वारा स्थापित विद्यालय के अधिकारियों के जितने नियमानुसार कार्य राखी करना।
- 5) समस्त प्रकाश के अनुदानों को प्रदान कर संस्था के हित में प्रस्ताव उपयोग करना।
- 6) संस्था के सदस्यों से सदस्यता शुल्क, दान करना एवं संस्था एवं संस्था के हित में धन करना।
- 7) संस्था द्वारा स्थापित विद्यालय के अधिकारियों के वेतन देयक परीक्षा परीक्षा परीक्षा तथा अकारण के परामर्शों पर हस्तक्षेप करना एवं शासन के पत्राचार करना।
- 8) संस्था या संस्था द्वारा स्थापित विद्यालय की और से मुद्रणों की देखभाल करना।
- 9) संस्था के हित में कम से कम 100/- स्वयं सेवक दार में रखा करना।
- 10) संस्था द्वारा स्थापित विद्यालय का वार्षिक काम धन स्वीकृत हेतु प्रेषित करना।
- 11) पुस्तकारिणी समिति का कार्यवाहक समिति के पूर्व चुनाव हेतु चुनाव अधिकारियों नामित करने का अधिकार।

कीर्तिका -

- 1) आद. व्यय का लेखा बहीना रखना।
- 2) पुस्तक/की द्वारा हस्ताक्षरित चिठियों का संचालन करने की व्यवस्था करना।
- 3) पुस्तक/की के जमानानुसार समस्त धन किसी वास्तविक प्राप्त बैंक का खाता नामित में रखा करना।

सहायक निदेशक

विद्यालयीय तथा विद्यालयीय

11/11/2011 6/3

सहायक निदेशक

पुस्तक

54 आधिक -

इसका कार्य विद्यार्थियों की वार्षिक जांच काय की रिपोर्ट तैयार करना तथा इसकी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

24 संस्था के सभी स्तर के जांच-काय का आधिक प्रमुख समिति की राय से किसी वार्षिक आधिक द्वारा कराया जाएगा।

11- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया -

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया कायान्वयन तथा के सभी प्रकार के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जाएगा।

12- संस्था का उद्योग -

संस्था का उद्योग किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खला किया जाएगा जिसके निष्पत्ति के लिए प्रमुख/सभी स्तर उपाध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

13- संस्था के जांच-काय का रिपोर्ट वार्षिक आधिक -

संस्था के सभी स्तर के जांचकाय का आधिक तैयार करना की राय से किसी मान्यता प्राप्त आधिक द्वारा कराया जाएगा।

14- संस्था का उद्योग -



- 13 सदस्यता रजिस्टर
- 24 कार्यवाही रजिस्टर
- 34 तद्वत रजिस्टर
- 42 बैंक बुक।

15- संस्था द्वारा उक्त विषय संयोजन का उत्तरदायित्व -

उदाहरण के लिए यदि संस्था द्वारा किया उक्त विषय को जो प्रमुख/सभी स्तर द्वारा करा जायेगी।

16- संस्था के विद्यमान व विद्यमान तत्काल की निष्कारण की कार्यवाही समायोजी राज्य की धारा 12 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक : 11/10/11

संस्था/समिति

अ.नाथ

प्रतिनिधि

सहायक प्रमुख
संस्था/समिति
11/10/11

1- आ.नाथ
11/10/11

2- आ.नाथ
11/10/11

3- आ.नाथ
11/10/11

11/10/11